न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पाकुड़

आर० एम० पी० वाद सं०—52 / 2011—12

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़—बनाम—दयाल दास

आदेश

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
01	02	03
	यह वाद विज्ञ उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय से सुनवाई एवं निष्पादन हेतु आर0एम0पी0 वाद सं0—06 / 2002 में दिनांक—14.11.2002 को दिये गए आदेश के आलोक में प्राप्त हुआ है। यह वाद मौजा खपराजोला, जमाबंदी नं0—17 / 31 के दाग सं0—169, के अंतर्गत रकवा 01 बी0—18क0—00धूर भूमि जो दयाल दास, पाकुड़ के नाम से कायम अवैध जमाबंदी के विरूद्व निम्न न्यायालय के स्था0रा0वि0 वाद सं0—68 / 98—99 द्वारा प्राप्त है। वर्ष 2002 से उपायुक्त के न्यायालय से चल रही है। विपक्षी के द्वारा दिनांक—05.07.2012 को हाजरी दी गई एवं इसके पश्चात् विपक्षी लगातार अनुपस्थिति है। दिनाकं—22.01.2025 को नोटिश निर्गत किया गया। अभिलेख में वर्णित पत्राचार पते पर नोटिश तामिला नहीं हो पाया, क्योंकि स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि विगत कई वर्षों से इस नाम का कोई व्यक्ति इस पते पर नहीं रह रहे है। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों / दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि को लेकर माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में W.P(C) No-3543/2008 विचाराधीन है। उक्त वाद में पारित आदेश द्वारा प्रश्नगत भूमि पर Status Quo Maintain करने का आदेश दिया गया हैं। वर्त्तमान में उक्त वाद विचाराधीन है एवं अंतिम आदेश इस न्यायालय को अप्राप्त है। ऐसी स्थिति में इस वाद में कोई आदेश पारित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः W.P(C) No-3543/2008 में आदेश पारित होने तक वाद की कार्यवाही स्थगित रखी जाती है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम / अंतरिम आदेश के आलोक में विधिवत् कार्यवाही की जाएगी। लेखापित संशोधित। 22/02/25 22/02/25 अपर समाहर्त्ता, अपर समाहर्त्ता, पाकुड़। पाकुड़।	

Digitally signed by JEMES SURIN
Date: 2025.02.28 17:54:12 +05:30
Location: 192.168.0.116